

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

11 FEB 2010

रोकडिया / पुरोकडिया कोषाधिकारी / मुंबई

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

फिली म २१५-ला प्रजा नं० M 844246



॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

::विक्रयपत्र::

कार्यालय का नाम :-

उपे निबन्धक जोन-2 कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक:-

19.02.2010

2. निष्पादन तिथि:-

19.02.2010

3. प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता
निष्पादनकर्ता का नाम:-

जय भारत सहकारी आवास समिति लि. स्थित कार्यालय 22 एम.
आई. जी. जूही कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री अमर सिंह बालिग
पुत्र श्री राम दयाल सिंह निवासी मकान नम्बर 128/201 ई.
ब्लाक किदवई नगर, कानपुर नगर।

कनफर्मिंग पार्टी / सहमति
पक्षकार:-

श्री रामशंकर सचान बालिग पुत्र श्री साधूराम सचान उर्फ
साधूलाल सचान निवासी ग्राम रायपुर पोस्ट पतारा कानपुर

Rachan *Sudhan Mahotra*

अनुपम महेश लाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550683

2


- | | |
|------------------------------|---|
| 4. लेखपत्र का प्रकार:- | विकयपत्र |
| 5. प्रतिफल:- | मुबलिंग 18,450/-रुपया |
| 6. बाजारी मूल्य:- | मुबलिंग 20,57,000/- रुपया |
| 7. कर्तागण:- | श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट बालिंग पुत्र श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा एवं श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिंग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासीगण 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर नगर। |
| 8. सम्पत्ति का विवरण:- | आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लाट नम्बर 9 में भूमि का क्षेत्रफल 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर |
| स्थान:- | ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर |
| कार्नेर व पार्क फेस:- | नही है। |
| विक्रीत प्लाट का क्षेत्रफल:- | क्षेत्रफल 514.20 वर्गमीटर |
| सीमा से सड़क की चौड़ाई:- | 80 फिट चौड़ी सड़क |
| आवासीय/कृषि भूमि:- | आवासीय खुले प्लाट के रूप में |

★

(Signature)

(Signature)

(Signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 550684


3

सीमाओं का विवरण :-
पूरब :- 80 फिट चौड़ी सड़क (मैनावती मार्ग)
पश्चिम:- आराजी भूमि नम्बर 221
उत्तर:- प्राइवेट प्लॉट नम्बर 10 स्थित आराजी न. 215 का जुज भाग
दक्षिण:-प्राइवेट प्लॉट नम्बर 5,6,7 व 8 स्थित आराजी न. 214 व 215 का जुज भाग

स्टाम्प अदायगी का विवरण
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की दर:- मुबलिंग 4,000/-प्रति वर्गमीटर
भूमि का मूल्य:- मुबलिंग 20,57,000/-रुपया मात्र
जिलाधिकारी द्वारा देय स्टाम्प:- मुबलिंग 1,44,000/- रुपया मात्र
कुल दिया गया स्टाम्प:- मुबलिंग 1,44,000/- रुपया मात्र

जय भारत सहकारी आवास समिति लिमिटेड स्थित कार्यालय 22 एम. आई. जी. जूही कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री अमर सिंह बालिग पुत्र श्री राम दयाल सिंह निवासी मकान नम्बर



Sudhakar
अमर सिंह बालिग



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550685

4

128/201 ई. ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर जिन्हे इस लेखपत्र में विक्रेता कह कर सम्बोधित किया गया है।



एवं

श्री रामशंकर सचान बालिग पुत्र श्री साधूराम सचान उर्फ साधूलाल निवासी ग्राम रायपुर पोस्ट पतार कानपुर नगर जिन्हे इस लेखपत्र में सहमतिदाता/कनफर्मिंगपार्टी कह कर सम्बोधित किया गया है।

के हक में

श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट बालिग पुत्र श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा एवं श्रीगती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासीगण 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर नगर जिन्हे इस लेखपत्र में क्रेतागण कह कर सम्बोधित किया गया है।

विदित हो कि विक्रेता आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट 9 क्षेत्रफल 615 वर्गगज यानि 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर का तनहां मालिक काबिज व स्वामी है। उक्त आराजी भूमि नम्बर 215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के पूर्ण मालिक व स्वामी श्री जगन्नाथ बालिग पुत्र श्री छिदम्मी निवासी ग्राम कोढ़वा परगना अकबरपुर कानपुर थे, श्री जगन्नाथ ने उक्त आराजी भूमि को विक्रय आदि करने की बावत एक



Sudhir Mahendra
अकबरपुर कानपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000


TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550686

5

रजिस्टर्ड मुख्तारनामा आम श्री रमाशंकर सिंह बालिग पुत्र श्री केशव प्रसाद निवासी ग्राम रायपुर पोस्ट पतारा परगना घाटमपुर कानपुर के हक में दिनांक 27/12/1983 तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 4 जिल्द नम्बर 835 के पेज नम्बर 212 से 213 में नम्बर 1723 पर दिनांक 29/12/1983 को हुई, श्री रमाशंकर सिंह बालिग पुत्र श्री केशव प्रसाद ने बहैसियत मुख्तारआम उक्त आराजी भूमि नम्बर 215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर को जय भारत सहकारी आवास समिति लिमिटेड स्थित कार्यालय 22 एम. आई. जी. जूही कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री अमर सिंह बालिग पुत्र श्री राम दयाल सिंह निवासी मकान नम्बर 128/201 ई. ब्लाक, किदवई नगर कानपुर नगर के हक में दिनांक 16/05/1985 को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 4129 के पेज नम्बर 145 से 148 में नम्बर 11266 मय मुसन्ना नम्बर 11267 पर दिनांक 14/06/1985 को हुई, जय भारत सहकारी आवास समिति लिमिटेड स्थित कार्यालय 22 एम. आई. जी. जूही कानपुर नगर द्वारा सचिव अमर सिंह ने उक्त आराजी भूमि को छोटे छोटे टुकड़े करके आवासीय प्लाटों में विभक्त कर दिया, जिसमें प्राइवेट प्लाट नम्बर 9 क्षेत्रफल 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर को समिति के सदस्य श्री रामशंकर सचान बालिग पुत्र श्री साधूराम सचान उर्फ साधूलाल निवासी ग्राम रायपुर पोस्ट पतारा कानपुर नगर यानि कनफमिगपार्टी/सहमतिपक्षकार के हक में दिनांक 18/11/1991 को लीज पर दिया था, जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 1254 के पेज नम्बर 279 से 286 में नम्बर 25891 पर दिनांक 19/11/1991 को हुई, श्री रामशंकर सचान यानि कनफमिगपार्टी/सहमतिपक्षकार ने उक्त प्राइवेट


Sunder Mahitoo
अमर सिंह बालिग पुत्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 940777

7


यह भी विदित हो कि उपरोक्त सोसायटी उत्तर प्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 922 सन् 1985 है, तथा, उपरोक्त सोसायटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है, तथा उपरोक्त सोसायटी की ओर से उसके सचिव अमर सिंह को सम्पत्ति उपरोक्त को क्रय व विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है, उपरोक्त सोसायटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिये आवासीय समस्या के समाधान हेतु उपरोक्त सम्पत्ति यानि आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट 9 में भूमि का क्षेत्रफल 615 वर्गगज यानि 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसकी विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र के अन्त में वर्णित है जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, अपने सदस्य श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट बालिग पुत्र श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा एवं श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट निवासीगण 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर नगर से बात हुयी, जो कि विक्रेता द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की पूर्णतया पाक व साफ होने तथा एकमात्र अपनी ही मिल्कियत होने का यकीन व इत्मिनान दिलाने पर उपरोक्त सम्पत्ति को बहालत मौजूदा मुबलिग 18,450/-रुपये अठारह हजार चार सौ पचास रूपयों में क्रेतागण के हक में विक्रय करना स्वीकार कर लिया है।

अतः विक्रेता ने अपनी सोसायटी के पदाधिकारियों से विचार करके उक्त सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट 9 में भूमि का क्षेत्रफल 581 वर्गगज यानि 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसकी विस्तृत

A

Anuradha Mehrotra
अनुराधा मेहरोत्रा

EB 2010






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M. 940778


8

विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र के अन्त में वर्णित है जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, को क्रेतागण उपरोक्त, श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट बालिग पुत्र श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा एवं श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट निवासीगण 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर नगर के पक्ष में मुबलिग 18,450/-रुपये अद्वारह हजार चार सौ पचास रूपयों में बहालत मौजूदा उक्त प्लाट को विक्रय कर दिया यानि क्रेतागण उपरोक्त के पक्ष में विक्रीत सम्पत्ति को अपने सम्पूर्ण अधिकार व सुखाधिकार व सहित विक्रय कर दिया यानि बेच डाला और कुल विक्रय मूल्य इस लेखपत्र के अन्त में वर्णित विधि से विक्रेता ने क्रेतागण उपरोक्त से प्राप्त कर लिया तथा विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त क्रेतागण के हक में हस्तान्तरित कर दिया तथा विक्रीत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा व दखल अपनी ही भौति क्रेतागण को करा दिया। अब विक्रेता का कोई सम्बन्ध मालिकाना हक कब्जा व दखल किसी किसम का विक्रीत सम्पत्ति पर नहीं रह गया है। क्रेतागण को यह अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति को जिस तरह से चाहे उपयोग करे, और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें निर्माण करे, रहन, बय, हिबा, वसीयत, स जमानत व न्यास आदि करे, उसके किसी कृत्य में विक्रेता को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और न कभी भविष्य में होगा। क्रेतागण को यह अधिकार है कि वह इस लेखपत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, काबिज के कागजात सरकारी पुस्तकों में या जहां कहीं भी आवश्यकता हो, विक्रेता के नाम के स्थान पर बहैसियत मालिक व स्वामी विक्रीत सम्पत्ति पर दर्ज करवा लेवे। विक्रेता की रजामन्दी व सहमति इस लेखपत्र से ही




 सुखदेव मेहरोत्रा

FEB 2010

क रोफडि



रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 940779

9

समझी जावेगी तथा यदि इस कार्य में जहां कहीं भी विक्रेता की सहायता की आवश्यकता होगी, विक्रेता लिखित व मौखिक व शपथपत्र आदि देकर क्रेतागण की मदद करने को बाध्य रहेगे।

यह भी विदित हो कि विक्रेता ने क्रेतागण को विश्वास दिलाया कि विक्रीत सम्पत्ति जिसका विस्तृत विवरण एवं चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र के अन्त में वर्णित हैं, हर प्रकार के भार से पूरी तरह पाक व साफ है तथा हर प्रकार के विवाद से मुक्त है। विक्रीत सम्पत्ति कहीं पर गिरवी, विक्रय, दान, न्याय या वसीयत या जमानत आदि नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति पर विक्रेता ने किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशाषी वित्तीय या बैंकिंग संस्थान या निजी संस्थान से कोई ऋण आदि नहीं लिया है और विक्रीत सम्पत्ति की जमानत पर किसी को कोई ऋण आदि दिलाया भी नहीं है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी ऋण आदि की वसूली सम्बन्धी कोई कार्यवाही कहीं पर विचाराधीन नहीं है। उक्त विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना हक के संबन्ध में कोई वाद या कार्यवाही किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है और वह किसी डिक्री की इल्लत में न तो कुर्क और न नीलाम है और न ही उक्त विक्रीत सम्पत्ति में किसी भी प्रकार की आयकर व व्यापार कर की कोई इल्लत है। विक्रेता की विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त किसी अर्ध-सरकारी या गैर सरकारी स्कीम में अर्जित नहीं की गयी है और न ही उसके अर्जन के सम्बन्ध में विक्रेता को आज दिन तक किसी भी विभाग से कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है। विक्रेता को किसी न्यायालय आदि के किसी आदेश के द्वारा उक्त विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि करने से रोका या मना भी नहीं किया गया है। विक्रेता ने विक्रीत सम्पत्ति के संबन्ध में न तो किसी से कोई बयाना आदि ही लिया है और न किसी प्रकार

A *Bechen* *Sudhar Meludoe*
 15/11/2010

6 FEB 2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

8 FEB 2010

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु. 1000

Rs. 1000


सत्यमेव जयते


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 883664

10

का कोई इकरारबय व मुख्तारनामा आम आदि भी अन्य किसी के पक्ष में निष्पादित किया है। इस प्रकार विक्रेता को कुल अधिकार हस्तान्तरण बाबत उपरोक्त विक्रीत सम्पत्ति प्राप्त है। उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के पूर्व इस संबंध कोई धनराशि यदि बकाया पायी जाती है, तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जावे या किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा किसी भी किस्म का विक्रीत सम्पत्ति पर पाया जावे या कोई रकम विक्रेता द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति पर बकाया निकले या विक्रीत सम्पत्ति पर कोई भार आदि पाया जावे या विक्रेता की मिल्कियत में कमी के कारण या विक्रेता के किसी कार्य या अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग क्रेतागण उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जावे या क्रेतागण को विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना अधिकारों की रक्षा के लिये कोई रकम अदा करनी पड़े, या इस लेखपत्र के किसी कथन के असत्य या विपरीत होने के कारण क्रेतागण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे या विक्रीत सम्पत्ति के बाबत विक्रय तिथि के पश्चात विक्रेता के पक्ष की किसी देयता की कोई राशि इस संबंध में क्रेतागण को अदा करनी पड़े तो विक्रेता, क्रेतागण के प्रत्येक क्षतिपूर्ति को अदा करने के उत्तरदायी रहेंगे व क्रेतागण को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि वह पूर्ण अथवा अंश विक्रय धन, हर्जा, खर्चा व ब्याज सहित विक्रेता समिति से या विक्रेता समिति की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जैसे भी चाहें वसूल कर लें। इसमें विक्रेता समिति को कोई आपत्ति करने का कतई कोई अधिकार नहीं होगा तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में की गई समस्त आपत्तियां अमान्य होंगी। यदि उपरोक्त आशवासनों में कुछ भी गलत या झूठ पाया जाता है, तो उस सबकी


 Sachin Sudeh Mehrotra
 अग्रिम सदस्य



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

8 FEB 2010

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु. 1000

Rs. 1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 883665

11

कुल जिम्मेदारी विक्रेता समिति की होगी इस लेखपत्र की पाबन्दी विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारीगण पर लागू होगी तथा क्रेतागण के उत्तराधिकारीगण स्थानापन्नो व हस्तान्तरण द्वारा प्राप्तकर्ताओं को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो क्रेतागण को इस विक्रयपत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। विक्रीत प्लॉट खुले प्लॉट के रूप में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं है। कनफर्मिंग पार्टी को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जा रही है, उपरोक्त विक्रीत सम्पत्ति में मिलिक्यत की बावत यदि कोई विवाद पाया जाता है, तो कनफर्मिंगपार्टी/सहमति दाता से किसी प्रकार कोई क्लेम करने का अधिकार न होगा।


अतः विक्रेता व सहमति पक्षकार एवं क्रेतागण ने अपने स्वस्थ मन, बुद्धि व चित्त की दशा में, बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के, अपने शुभ चिन्तकों व पारिवारिक सदस्यों व इष्ट मित्रों व कानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा करने के उपरान्त, समक्ष साक्षीगण यह विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया, ताकि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे।

विवरण व चतुर्दिक सीमायें विक्रीत सम्पत्ति ::

आरक्षी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट 9 में भूमि का क्षेत्रफल 581 वर्गगज यानि 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर जिसका विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये निम्नलिखित वर्णित है। जो संलग्न नक्शे मे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

पूरब - 80 फिट चौड़ी सड़क (मैनावती मार्ग)

Bachar Sullu Melvator
अनुपम गैरिका



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K. 883666

12

पश्चिम :- आराजी भूमि नम्बर 221

उत्तर:- प्राइवेट प्लॉट नम्बर 10 स्थित आराजी न. 215 का जुज भाग

दक्षिण :- प्राइवेट प्लॉट नम्बर 5,6,7 व 8 स्थित आराजी न. 214 व 215 का जुज भाग

-: धनराशि वसूलयाबी विवरण :-

मुबलिंग 18,450/-रूपया नकद दिनांक 11/04/2005 को रसीद सख्यां 1172 व 1173 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

मुबलिंग 18,450/- रूपया विक्रेता ने क्रेतागण से प्राप्त कर लिया है अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध मे विक्रेता को क्रेतागण से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है।

श्री अमर सिंह के दाये हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगूठा तर्जिनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



A Sachan Sudhir Mehrotra
 साधु सुधीर मेहरोत्रा

कौषाग्र कानपुर नगर

जनरल-स्टाम्प

क्रमा संख्या... 50
 मूल्य रू०... 2,057,000.00
 विना/पति का नाम...
 पति...
 दिनांक... 18-2-10

18,450.00 / 2,057,000.00 10,000.00 50 10,050.00 2,500
 प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री/श्रीमती जय भारत सहकारी आवास समिति लि०द्वारा सचिव-अमर सिंह
 पुत्र / पत्नी श्री रामदयाल सिंह

पेशा व्यापार

निवासी ल्यायी 128/201 ई०ब्लाक किदवई नगर कानपुर
 अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/2/2010 समय 2:11PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



र प्रदेश

मानवेन्द्र शास्त्री
 उप निबन्धक (जोन-2)
 कानपुर नगर।

19/2/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती जय भारत सहकारी आवास समिति
 लि०द्वारा सचिव-अमर सिंह
 पुत्र/पत्नी श्री रामदयाल सिंह
 पेशा व्यापार
 निवासी 128/201 ई०ब्लाक किदवई नगर कानपुर



क्रेता

श्री/श्रीमती सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
 पुत्र/पत्नी श्री श्रीकृष्ण मेहरोत्रा
 पेशा वकालत
 निवासी 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर

श्री/श्रीमती रामशंकर सचान (सहमति पक्षकार)
 पुत्र/पत्नी श्री साधूराम सचान उर्फ साधूलाल सचान
 पेशा सेवानिवृत्त
 निवासी रायपुर पतारा कानपुर



श्री/श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा
 पुत्र/पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
 पेशा गृहिणी
 निवासी 15/265 सिविल लाइन्स कानपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री विष्णुशंकर बाजपेई
 पुत्र श्री अनन्तराम बाजपेई
 पेशा व्यापार

निवासी 94-रूमा कानपुर

व श्री विपिन कुमार वर्मा

पुत्र श्री श्रीकृष्ण मोहन वर्मा

पेशा नौकरी

निवासी गंगा नगर शुक्लागंज उन्नाव

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



मानवेन्द्र शास्त्री
 उप निबन्धक (जोन-2)
 कानपुर नगर।

19/2/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

8 FEB 2010

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

00 2,500 शब्द लगभग



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 88366

13

श्री अमर सिंह के बाये हाथ की अगुलियों के निशान

अंगूठा तर्जिनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



श्री रामशंकर सचान के दाये हाथ की अगुलियों के निशान

अंगूठा तर्जिनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



श्री रामशंकर सचान के बाये हाथ की अगुलियों के निशान

अंगूठा तर्जिनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



Handwritten star symbol

Sachan Sudhir Mehrotra

कानपुर 19/11/2010

मानवेन्द्र शास्त्री
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।

9/2/2010

एडवोकेट

कानपुर

रोक

पेना एडवोकेट

कान

मानवेन्द्र शास्त्री
नेबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।

2010

कानपुर सहकारी आवास समिति

70

12/1/2010

18-2-10



विक्रेता

Registration No 651 Year : 2010 Book No. 1

0101 जय भारत सहकारी आवास समिति लि०द्वारा सचिव-अमर सिंह
रामदयाल सिंह
128/201 ई०ब्लाक किदवई नगर कानपुर
व्यापार




0102 रामशंकर सचान (सहमति पक्षकार)
साधूराम सचान उर्फ साधूलाल सचान
रायपुर पतारा कानपुर
सेवानिवृत्त




श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट के दाये हाथ की अगुलियों के निशान




श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट के बाये हाथ की अगुलियों के निशान



श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा के दाये हाथ की अगुलियों के निशान



श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा के बाये हाथ की अगुलियों के निशान



गवाह -

1-

विष्णु अंका वाजपेयी
S/O श्री अनुराधा वाजपेयी
A-94 रुमा कानपुर नगर

विक्रेता

सहमतिपक्षकार

2-

विपिन कुमार वर्मा
(S/O श्री कृष्ण मोहन वर्मा)
मेरानगर बुलडांवा
(उन्नाव)

केतागण

A.C.V.P.M. 6653 &
अधिवक्ता मेरानगर

मेरे निजी निर्देशन में टाइप किया गया। A.T.P.M. 2005 &

Anurag Kapoor

अनुराग कपूर एडवोकेट,

नक्शा नजर

प्लॉट नम्बर

क्रेता

Registration No. 651


Year : 2010

Book No. 1

0201 सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
श्रीकृष्ण मेहरोत्रा
15/265 सिविल लाइन्स कानपुर
वकालत




0202 अनुराधा मेहरोत्रा
सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
15/265 सिविल लाइन्स कानपुर
गृहिणी



॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

फोटो आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.4100 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट नम्बर 9 में भूमि का क्षेत्रफल 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर



★

Rachan

Sudhu Malhotra



अनुसंधान प्रदर्शन


इलाहाबाद
962/59-10
28-4-10
506-5-10
✓

2)

श्री गणेशाय नमः

नक्शा नजरी आराजी खसरा नम्बर-215 क्षेत्रफल 0.410 हेक्टेयर के जुज भाग में स्थित प्राइवेट प्लॉट नम्बर 9 में भूमि का क्षेत्रफल 514.20 वर्गमीटर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर




 उद्धार महोदय
 अतिरिक्त अधिकारी


Er. S. P. SINGH CHAUHAN
 Approved Class-B, Civil Engineer
 Kanpur Development Authority
 Mandhana Kanpur

सुभाष चंद्र बोस
नाड संख्या 960/09-10
आदेश दि. 28-4-10
आपत्ति दि. 06-5-10
✓

फोटो 3
नम्बर 5

आज दिनांक 19/02/2010 को
बही सं 1 जिल्द सं 4373
पृष्ठ सं. 385 से 416 पर क्रमांक 651
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

M. V. Shastri
मानवेन्द्र शास्त्री
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर ।
19/2/2010



TITLE Doc (1)